न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 90/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/149

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.दानसिंह पुत्र आम्बसिंह 2.छैलकंवर पत्नी आम्बसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. प्रतिवादी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

:–आदेश:–

दिनांक 07.8.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 329 क्षेत्रफल 5.5604 हैक्टयर एवं ग्राम शोभावास की खसरा संख्या 87/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी संख्या 01 का पूरणसिंह व प्रार्थी संख्या 02 का शैलकंवर अशुद्व नाम की प्रविष्टि अंकन हो रखी है। जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम दानसिंह व छैलकंवर है,लेकिन अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में दायर अशुद्व नाम प्रविष्टि पूर्णसिंह व शैलकंवर के स्थान पर सही नाम दानसिंह व छैलकंवर इन्द्राज करवानें हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए स... तलब किया। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:05 IST
Reason: SelfAttested

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 329 क्षेत्रफल 5.5604 हैक्टयर एवं ग्राम शोभावास की खसरा संख्या 87/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थी संख्या 01 का

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पूरणसिंह व प्रार्थी संख्या 02 का शैलकंवर अशुद्ध नाम की प्रविष्टि अंकन हो रखी है,जबकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम दानसिंह व छैलकंवर है,लेकिन अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अशुद्ध प्रविष्टि एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम दानसिंह व छैलकंवर दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्तः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में अशुद्ध नाम पूर्णसिंह व शैलकंवर के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि दानसिंह व छैलकंवर इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विवादित आराजी में अशुद्ध नाम प्रविष्टि दस्तावेजात से साबित किए जाने पर आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 329 क्षेत्रफल 5.5604 हैक्टयर एवं ग्राम शोभावास की खसरा संख्या 87/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में अवस्थित है,जिसमें प्रार्थीगण के नाम पूर्णसिंह व शैलकंवर इन्द्राज हो रखे है। जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड प्रति,आयकर विभाग द्वारा जारी पेन–कार्ड प्रति,ड्राईविग लाईसेन्स प्रति,वोटर कार्ड प्रति,एस.बी.बी.जे. शाखा जसोल द्वारा बैक डायरी प्रति में प्रार्थीगण के नाम दानसिंह व छैलकंवर अंकन हो रखे है तथा प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम शोभावास की खसरा संख्या 46 क्षेत्रफल 1.1736 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण के नाम दानसिंह व छेलकंवर इन्द्राज हो रखे है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम की प्रविष्टि इन्द्राज है,जो कि प्रार्थीगण अपने शुद्ध नाम इन्द्राज करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहे है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि में अपना अशुद्ध नाम पूर्णसिंह व शैलकंवर के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि दानसिंह व छैलकंवर दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेशः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:05 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीग[illegible]रा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 329 [illegible] 5.5604 हैक्टयर एवं ग्राम शोभावास की खसरा संख्या 87/2 क्षेत्रफल 4.8562 हैक्टयर भूमि [illegible] प्रार्थीगण का अशुद्ध नाम प्रविष्टि पूर्णसिंह व शैलकंवर के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि दानसिंह पुत्र आम्बसिंह व छेलकंवर पत्नी आम्बसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.8.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:23:05 IST
Reason: SelfAttested